

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र

प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक—एस०टी०/एन०ओ०सी०/

/2014–2015 दिनांक 29.4.15

विषय—ऋषिकुल इण्टरनेशनल स्कूल, प्रेमनगर, महावन, मथुरा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या—2762/15–13–91–4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा
संख्या—1916(1)/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 सपठित शिक्षा निदेशक,(मा०) के
पत्रांक—सा०(1)/शिविर/एन०ओ०सी०/7153/2009–2010 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 के आलोक में
ऋषिकुल इण्टरनेशनल स्कूल, प्रेमनगर, महावन, मथुरा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार का निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं
हैं।

- 1— विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2— विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिये
सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित
विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय
माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री
एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई दिल्ली से
प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और
राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5— संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6— कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक
विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।
- 8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9— उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा—105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क
मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- 10— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया
जायेगा।

三三

‘ቍልናዕሮ በአገራዊ ስምንትና የሚያጠበቅ
ይሆን መሬዳዊ/መሬታ
(ከፍተሰብ እነዚህ ተግባራዎች)

Sight words

| ୧୯୫୭ | ୫୮-୮

‘**ወጪ**’ በዚህ የዕለታዊ አገልግሎት መቻል ይፈጸማል

| ቅጂዬው የኩስ አገልግሎት ስተላለፈ መግለጫ-9

| ፲፻፭፻ | ቁጥር ፩ | አውጭ | ወጪ - ፫

—३ विद्युत विभाग, राजस्थान शासन

2-ԷԼԻՆԱ, (ՀԻՕՒԻ) ՅՈՎԱ ՀԱՅԵԼ ԳԼԻԿԱ, ԼԵԱՆ (Դ) ՅԱՆԻԿԱ, ԱՐԵՎԻ

Digitized by srujanika@gmail.com

‘ԷՇԱՐ / ԱԿԲՈՒՏՅԱՆ

(ՀԱՅՀԻ հլ՛յէ)

3

hipp

Digitized by srujanika@gmail.com

፩፻፭፻፲፻ | በግዢና | በ፻፭፻፲፻

15

1 በዚህም ከዚህ ዲ እኩለሁ እኩ-ወተኑ ማሃበት መልክ ገዢ ለአቀፍ ነው በ' ይ' ሆኖም ሆኖም ሆኖም ሆኖም
ቁጥር ለአቀፍ በ' ይ' ሆኖም
ቁጥር ለአቀፍ በ' ይ' ሆኖም ሆኖም